संख्या– 424 /XXVIII–3–2019–100/2009 टी0सी0

प्रेषक,

अरूणेन्द्र सिंह चौहान,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य संरक्षा, उत्तराखण्ड।

चिकित्सा अनुभाग–3 देहरादून : दिनांक 30 मई, 2019

विषय– खाद्य संरक्षा संवर्ग के ढाँचे के पुनर्गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक चिकित्सा अनुभाग–03 के शासनादेश संख्या–50/XXVIII–3–2013–100/2009 दिनांक 18.01.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (एक्ट नं0 34/2006) के सम्पूर्ण भारत वर्ष में प्रभावी होने के फलस्वरूप चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा संवर्ग के ढांचे का पुर्नगठन किया गया है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा अनुभाग–02 के शासनादेश संख्या–288/XXVIII–2–2006–191/2004 दिनांक 01.03.2006 तथा शासनादेश संख्या–04/XXVIII–2–2008–191/2004 दिनांक 24.01.2008 का भी सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के ढाँचे का पुनर्गठन किया गया है। इस सम्बन्ध में चिकित्सा अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–616 दिनांक 04.06.2015 का भी सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य के गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत जनपद देहरादून एवं कुमायूं मण्डल के अन्तर्गत हल्द्वानी, जनपद नैनीताल में अपीलीय अधिकरण के संचालनार्थ रजिस्ट्रार के पदों का सृजन किया गया है।

2– खाद्य संरक्षा विभाग पर महानिदेशक का प्रशासनिक नियन्त्रण समाप्त करते हुए खाद्य संरक्षा व औषधि प्रशासन (FDA) का गठन किये जाने का मुझे निदेश हुआ है। यह खाद्य संरक्षा व औषधि आयुक्त के अधीन होगी। प्रमुख सचिव/सचिव–चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पदेन आयुक्त होंगे। खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन के अन्तर्गत निम्नानुसार 04 शाखायें स्थापित की जा रही है–

(1) औषधि नियन्त्रण शाखा
(2) खाद्य संरक्षा शाखा
(3) विश्लेषणशाला शाखा।
(4) सर्तकता–सह–अभिसूचना शाखा।

3– उपरोक्त के दृष्टिगत खाद्य संरक्षा विभाग के विभागीय ढाँचे को निम्नानुसार पुर्नगठित किये जाने का मुझे निदेश हुआ है–

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान (रू0 में)	प्रस्तावित पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	खाद्य संरक्षा एवं औषधि आयुक्त	–	01	पद पूर्व से सृजित है। (FSS Rule 2011 के अनुसार सचिव से अन्यून स्तर का अधिकारी)
2	अपर खाद्य संरक्षा एवं औषधि आयुक्त	–	–	पदेन अपर सचिव, स्वास्थ्य (उक्त पद औषधि नियन्त्रण शाखा के अन्तर्गत सृजित है।)
3	संयुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त	15,600– 39,100 ग्रेड पे 7,600	01	पद पूर्व से सृजित है।
4	उपायुक्त	15,600– 39,100 ग्रेड पे 6,600	06	• 01 मुख्यालय स्तर पर • 01 कुमायूं मण्डल, नैनीताल। • 01 गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

				• 02 अपीलीय अधिकरण देहरादून/ हल्द्वानी में सृजित रजिस्ट्रार के पद के सापेक्ष • 01 पद राजकीय खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला, रूद्रपुर।
5	अभिहित अधिकारी	15,600– 39,100 ग्रेड पे 5,400	14	• 13 जनपद स्तर पर। • 01 मुख्यालय स्तर पर।
6.	वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी	9,300– 34,800 ग्रेड पे 4,800	21	• 02 पद मुख्यालय पर। • 19 पद जनपद/तहसील स्तर पर (परिशिष्ट अवलोकनीय)
7.	खाद्य सुरक्षा अधिकारी	9,300– 34,800 ग्रेड पे 4,600	36	• 02 मण्डल स्तर पर। • 34 जनपद/तहसील स्तर पर (परिशिष्ट अवलोकनीय)
8.	लेखा अधिकारी	—	—	शासनादेश दिनांक 01.03.2006 व दिनांक 24.01.2008 द्वारा महानिदेशक कार्यालय हेतु सृजित पदधारक द्वारा खाद्य व औषधि के कार्य।
9.	लेखाकार	9,300–34,800 ग्रेड पे 4,200	01	मुख्यालय एवं जनपदों के कार्यों हेतु खाद्य व औषधि प्रशासन के अन्तर्गत सृजित लेखाधिकारी के निर्देशन में कार्य करेंगें।
10	सहायक लेखाकार	5,200–20,200 ग्रेड पे 2,800	01	मुख्यालय एवं जनपदों के कार्यो हेतु खाद्य व औषधि प्रशासन के अन्तर्गत सृजित लेखा अधिकारी के निर्देशन में कार्य करेंगें।
11	प्रशासनिक अधिकारी	9,300– 34,800 ग्रेड पे 4,600	01	सामान्य प्रशासन एवं लेखा अनुभाग, विधि अनुभाग, तकनीकि अनुभाग तथा आई0टी0 विजिलैन्स, आई0ई0सी0, प्रशिक्षण व तकनीकी अनुभाग।
12	प्रधान सहायक	5,200– 20,200 ग्रेड पे 4,200	01	सामान्य प्रशासन एवं लेखा अनुभाग, विधि अनुभाग, तकनीकि अनुभाग तथा आई0टी0 विजिलैन्स, आई0ई0सी0, प्रशिक्षण व तकनीकी अनुभाग।
13	वैयक्तिक सहायक	आउटसोर्स के आधार पर।	02	• 01 खाद्य सुरक्षा आयुक्त हेतु। • 01 संयुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त हेतु।
14	प्रवर सहायक	5,200– 20,200 ग्रेड पे 2,800	08	03–03 कार्मिक आई0ई0सी0, प्रशिक्षण, सामान्य प्रशासन एवं तकनीकी अनुभाग तथा 01 विधि अनुभाग।
15	कनिष्ठ सहायक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर	5,200– 20,200 ग्रेड पे 2,000	16	• 03 पद मुख्यालय स्तर पर नियमित रूप से। • 13 पद जनपद हेतु आउटसोर्स के आधार पर, जिन्हें नियत मानदेय देय होगा ।
16	अनुसेवक	आउटसोर्स (उपनल की दरों पर)	19	• मुख्यालय स्तर पर 04 पद। • प्रत्येक मण्डल हेतु 01–01 पद सहित कुल 02 पद। • प्रत्येक जनपद हेतु 01–01 पद सहित कुल 13 पद।
		कुल योग	128	

4— इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि खाद्य संरक्षा व औषधि प्रशासन के विभागाध्यक्ष प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण होंगे। अपर खाद्य संरक्षा व औषधि आयुक्त खाद्य संरक्षा व औषधि प्रशासन के कार्यालयाध्यक्ष होंगे।

5— इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि खाद्य संरक्षा व औषधि प्रशासन के अन्तर्गत विभाग के जिन पदों पर पदोन्नति द्वारा चयन किया जाना है, उन पदों पर पदोन्नति हेतु पोषक संवर्ग में पात्र कार्मिकों की उपलब्धता होने तक, पदों की रिक्तियों के सापेक्ष

नियमानुसार प्रतिनियुक्ति/पुर्ननियुक्ति के आधार पर अस्थायी व्यवस्था अन्तर्गत नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।

6— इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जनपद देहरादून में प्रस्तावित औषधि विश्लेषणशाला के सुचारू संचालन होने के पश्चात, राज्य में पूर्व से स्थापित खाद्य व औषधि विश्लेषणशाला रूद्रपुर में सृजित पदों को पृथक-पृथक करते हुए खाद्य विश्लेषणशाला को रूद्रपुर में तथा औषधि विश्लेषणशाला को देहरादून में संचालित किया जायेगा। इस पर महानिदेशक-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का प्रशासनिक नियन्त्रण समाप्त करते हुए खाद्य संरक्षा व औषधि आयुक्त के अधीन रखा जायेगा।

7— इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पदों को संलग्न परिशिष्ट के अनुसार चिन्हित मानते हुए आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

8— ऊपरउल्लिखित शासनादेशों को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

9— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-237(म0)XXVII(3)119 दिनांक, 11 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

संख्या- /XXVIII-3-2019-100/2009 टी0सी0 , तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
5. महानिदेशक-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
8. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. गोपन मंत्रिपरिषद अनुभाग।
11. वित्त अनुभाग-07/एन0आई0सी0।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार सिंह)
अनु सचिव।

C:\Section-3\Letter 1234.doc

शासनादेश संख्या–५२५ /XXVIII–3–2019–100/2009टी0सी0 दिनांक 30मई, 2019 का परिशिष्ट–

क्र0 स0	जनपद का नाम	प्रस्तावित कार्यक्षेत्र	प्रस्तावित मुख्यालय	पदनाम/पदों की संख्या	
				वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी	खाद्य सुरक्षा अधिकारी
1	पौड़ी गढ़वाल	पौड़ी तहसील	पौड़ी	1	–
		कोटद्वार / यमकेश्वर तहसील	कोटद्वार	1	–
		श्रीनगर तहसील	श्रीनगर	–	1
		थलीसैंण, सतपुली एवं चौबट्टाखाल तहसील	सतपुली	–	1
		धुमाकोट एवं लैंसडाउन	लैंसडाउन	–	1
2	हरिद्वार	हरिद्वार नगर निगम (हरकी पौड़ी, मायापुर व भूपतवाला क्षेत्र। वार्ड सं0–3–6, 9,12, 13,15,16, 19, 20)	हरिद्वार	1	–
		हरिद्वार तहसील (नगर निगम के अतिरिक्त), लक्सर तहसील	हरिद्वार	1	–
		रुड़की नगर निगम	रुड़की	1	–
		हरिद्वार नगर निगम (कनखल व ज्वालापुर क्षेत्र। वार्ड– 1,2,7,8,10,11,14,17,18 एवं वार्ड सं0 21–30)	हरिद्वार	–	1
		भगवानपुर तहसील	भगवानपुर	–	1
		रुड़की तहसील (नगर निगम के अतिरिक्त)	रूड़की	–	1
3	देहरादून	देहरादून नगर निगम (प्रथम एक तिहाई वार्ड)	देहरादून	1	–
		देहरादून नगर निगम (द्वितीय एक तिहाई वार्ड)	देहरादून	1	–
		ऋषिकेश तहसील	ऋषिकेश	1	–
		देहरादून नगर निगम (तृतीय एक तिहाई वार्ड)	देहरादून	–	1
		मसूरी तहसील	मसूरी	–	1
		विकासनगर, कालसी व चकराता तहसील	विकासनगर		1
		देहरादून तहसील (नगर निगम के अतिरिक्त)	देहरादून		1
4	टिहरी गढ़वाल	धनौल्टी व टिहरी तहसील	नई टिहरी	1	
		प्रतापनगर व घनसाली तहसील/देवप्रयाग	कीर्तिनगर	–	1
		नरेन्द्रनगर/ जाखणीधार तहसील	नरेन्द्रनगर	–	1
5	उत्तरकाशी	डुण्डा व भटवाड़ी तहसील (उत्तरकाशी नगर सहित)	उत्तरकाशी	1	–
		बड़कोट, पुरोला व मोरी तहसील	बड़कोट	–	1
		चिन्यालीसौड़ तहसील	चिन्यालीसौड़	–	1
6	रुद्रप्रयाग	रुद्रप्रयाग तहसील	रुद्रप्रयाग	1	
		जखोली व ऊखीमठ तहसील	ऊखीमठ	–	1
7	चमोली	पोखरी व चमोली तहसील	गोपेश्वर	1	
		जोशीमठ तहसील	जोशीमठ	–	1
		गैरसैंण, थराली तहसील	गैरसैण	–	1
		कर्णप्रयाग	कर्णप्रयाग	–	1
8	ऊधमसिंह नगर	काशीपुर नगर निगम	काशीपुर	1	–
		रुद्रपुर नगर निगम एवं सिड़कुल पंतनगर क्षेत्र	रुद्रपुर	1	–

C:\Section-3\Letter 1234.doc

		गदरपुर, किच्छा तहसील (नगर निगम एवं सिंडकुल के अतिरिक्त)	रुद्रपुर	—	1
		काशीपुर तहसील(नगर निगम के अतिरिक्त)	काशीपुर	—	1
		सितारगंज, खटीमा तहसील	खटीमा	—	1
		जसपुर, बाजपुर तहसील	जसपुर	—	1
9	नैनीताल	नैनीताल तहसील	नैनीताल	1	—
		हल्द्वानी नगर निगम (प्रथम दो तिहाई वार्ड)	हल्द्वानी	1	—
		कालाडुंगी, रामनगर तहसील	रामनगर	1	
		हल्द्वानी नगर निगम (शेष एक तिहाई वार्ड)	हल्द्वानी	—	1
		हल्द्वानी तहसील (नगर निगम के अतिरिक्त), लालकुऑ	हल्द्वानी	—	1
		बेतालघाट, कुर्स्यॉकुतौली व धारी तहसील	कुर्स्यॉकुतौली	—	1
10	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा तहसील, जैती व भनोली	अल्मोड़ा	1	
		भिक्यासैण व सल्ट तहसील	भिक्यासैंण	—	1
		द्वाराहाट, चौखुटिया	द्वाराहाट	—	1
		रानीखेत व सोमेश्वर तहसील	रानीखेत	—	1
11	बागेश्वर	बागेश्वर व कांडा तहसील	बागेश्वर	—	1
		कपकोट व गरूड़ तहसील	कपकोट	—	1
12	चम्पावत	चम्पावत, लोहाघाट व पाटी तहसील	चम्पावत	—	1
		पूर्णागिरी तहसील	टनकपुर	—	1
13	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़ तहसील	पिथौरागढ़	1	
		बेरीनाग, गंगोलीहाट तहसील	बेरीनाग		1
		डीडीहाट, मुनस्यारी व धारचूला तहसील	डीडीहाट	—	1
14	देहरादून मुख्यालय	देहरादून मुख्यालय	देहरादून मुख्यालय	2	—
15	मण्डल मुख्यालय	गढ़वाल मण्डल / कुमायूं मण्डल	पौड़ी / नैनीताल	—	2
		कुल पदों की संख्या		**21**	**36**

आज्ञा से,

(सुनील कुमार सिंह)
अनु सचिव।

C:\Section-3\Letter 1234.doc

प्रेषक, संख्या– 425 /XXVIII–3–2019–150/2010

अरूणेन्द सिंह चौहान
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रभारी औषधि नियन्त्रक,
उत्तराखण्ड।

चिकित्सा अनुभाग–3 देहरादून : दिनांक 30 मई, 2019

विषय– उत्तराखण्ड खाद्य संरक्षा व औषधि प्रशासन (FDA) के अन्तर्गत औषधि नियन्त्रण शाखा व विश्लेषणशाला शाखा के ढाँचे के पुनर्गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया प्रभारी औषधि नियन्त्रक, उत्तराखण्ड के पत्र दिनांक 22 फरवरी, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें, जिसके द्वारा विभागीय ढाँचे के पुर्नगठन का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

2– औषधि नियन्त्रण शाखा पर महानिदेशक का प्रशासनिक नियन्त्रण समाप्त करते हुए खाद्य संरक्षा व औषधि प्रशासन (FDA) का गठन किये जाने का मुझे निदेश हुआ है। यह खाद्य संरक्षा व औषधि आयुक्त के अधीन होगी। प्रमुख सचिव/सचिव–चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पदेन आयुक्त होंगे। खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन के अन्तर्गत निम्नानुसार 04 शाखायें स्थापित की जा रही हैं–

(1) औषधि नियन्त्रण शाखा
(2) खाद्य संरक्षा शाखा
(3) विश्लेषणशाला शाखा।
(4) सर्तकता–सह–अभिसूचना शाखा।

3– शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त, औषधि नियन्त्रण शाखा के विभागीय ढाँचे को निम्नानुसार पुर्नगठित किये जाने का मुझे निदेश हुआ है–

क्र0 सं0	पदनाम	वर्तमान वेतनमान (रू0 में)	प्रस्तावित वेतनमान (रू0 में)	पूर्व में सृजित पदों की संख्या	वर्तमान में प्रस्तावित अतिरिक्त पद	कुल पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	खाद्य संरक्षा एवं औषधि आयुक्त	–	–	–	1	1	पदेन प्रमुख सचिव/सचिव स्वास्थ्य
2	अपर खाद्य संरक्षा एवं औषधि आयुक्त	–	–	–	1	1	पदेन अपर सचिव, स्वास्थ्य
3	औषधि नियंत्रक	रू0 15,600–39,100 ग्रे0पे0 7,600	रू0 37,400–67,000 ग्रेड पे 7,600	01	00	01	शासनादेश दिनांक 03.04.2017 द्वारा सृजित।
4.	सहायक औषधि नियंत्रक (A.D.C.)	रू0 15,600–39,100 ग्रे0पे0 6,600	रू0 15,600–39,100 ग्रेड पे 6,600	01	02	03	1. कुमाउं मण्डल 2. गढ़वाल मण्डल 3. मुख्यालय
5.	वरिष्ठ औषधि निरीक्षक	रू0 15,600–39,100 ग्रेड पे0 5,400	रू0 15,600–39,100 ग्रेड पे 5,400	05	01	06	मुख्यालय–01, देहरादून–01, हरिद्वार–01, उधमसिंहगनर–01, नैनीताल–01, पौड़ी–01
6	औषधि निरीक्षक	रू0 9,300–34,800 ग्रेड पे0 4,600	(1) ग्रेड–I रू0 9,300– 34,800 ग्रेड पे 4,800	–	11	11	ग्रेड–I में 11 पद तथा ग्रेड–II में 8 अतिरिक्त पद का सृजन प्रस्तावित।

			(2) ग्रेड–II रू0 9,300– 34,800 ग्रेड पे 4,600	14	8	22	
7	लेखाधिकारी	रू0 15,600– 39,100 ग्रेड पे0 5,400	रू0 15,600– 39,100 ग्रेड पे0 5,400	01	–	01	शासनादेश दिनांक 01.03. 2006 द्वारा सृजित पदधारक द्वारा अतिरिक्त रूप से।
8	लेखाकार	रू0 9,300–34,800 ग्रेड पे 4600	रू0 9,300– 34,800 ग्रेड पे 4,600	01	–	01	शासनादेश दिनांक 01.03. 2006 द्वारा सृजित पदधारक द्वारा।
8	प्रशासनिक अधिकारी	रू0 9,300–34,800 ग्रेड पे 4,600	रू0 9,300– 34800 ग्रेड पे 4,600	01	–	01	शासनादेश दिनांक 01.03. 2006 द्वारा सृजित पदधारक द्वारा।
9	वरिष्ठ सहायक	रू0 5,200–20,200 ग्रेड पे 2800	रू0 5,200– 20,200 ग्रेड पे 2,800	01	–	01	शासनादेश दिनांक 01.03. 2006 द्वारा सृजित पदधारक द्वारा।
10	कनिष्ठ सहायक	रू0 5,200–20,200 ग्रेड पे 2,000	रू0 5,200– 20,200 ग्रेड पे 2,000	01	–	01	शासनादेश दि0 01.03.2006 द्वारा सृजित पदधारक द्वारा।
11	अनुसेवक	–	आउट सोर्स (उपनल की दरों पर)	01	01	02	02 पद देहरादून मुख्यालय हेतु।
	कुल योग	–		27	25	52	

4– इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जनपद देहरादून में प्रस्तावित औषधि विश्लेषणशाला के सुचारू संचालन होने के पश्चात, राज्य में पूर्व से स्थापित खाद्य व औषधि विश्लेषणशाला रूद्रपुर में सृजित पदों को पृथक–पृथक करते हुए खाद्य विश्लेषणशाला को रूद्रपुर में तथा औषधि विश्लेषणशाला को देहरादून में संचालित किया जायेगा। इस पर महानिदेशक–चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का प्रशासनिक नियन्त्रण समाप्त करते हुए खाद्य संरक्षा व औषधि आयुक्त के अधीन रखा जायेगा। औषधि प्रयोगशाला विभागीय स्तर पर औषधि नियंत्रक के नियंत्रणाधीन होगी। औषधि विश्लेषणशाला शाखा के अन्तर्गत नवीन ढांचे को निम्नानुसार पुर्नगठित करने का मुझे निदेश हुआ है:–

क0 सं0	पदनाम	वेतनमान (रू0 में)	कुल पदों की संख्या
1	2	3	6
1	राजकीय विश्लेषक	रू0 15,600–39,100 ग्रेड पे 6600	01
2	माईको बायोलॉजिस्ट	रू0 15,600–39,100 ग्रेड पे 5,400	01
3	वरिष्ठ विश्लेषक	रू0 15,600–39,100 ग्रेड पे 5,400	04
4	वैज्ञानिक अधिकारी	रू0 9,300–34,800 ग्रेड पे 4,200	01
5	वैज्ञानिक सहायक	रू0 9,300–34,800 ग्रेड पे 4,200	02
6	टेकनोलॉजिस्ट	रू0 9,300–34,800 ग्रेड पे 4,200	01
7	कनिष्ठ विश्लेषक	रू0 5,200–20,200 ग्रेड पे 2,800	06
8	लैब एटेन्डेण्ट	आउट सोर्स	03
9	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	आउट सोर्स	02
	कुल योग		21

5– इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सर्तकता–सह–अभिसूचना शाखा के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित श्वापक औषधि एवं मनोप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985) (NDPS Act 1985) से सम्बन्धित कार्यों व नकली औषधियों की प्रभावी रोकथाम

सम्बन्धी विभिन्न अधिनियमों/नियमों से सम्बन्धित उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु विभागीय ढाँचों का गठन निम्नवत् किया जाय–

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	पुलिस उपाधीक्षक	01	सेवा स्थानान्तरण के आधार आधार पर।
2	पुलिस उप निरीक्षक	01	सेवा स्थानान्तरण के आधार आधार पर।
3	पुलिस कान्सटेबल	04	सेवा स्थानान्तरण के आधार आधार पर।
	कुल पदों की संख्या	06	

सर्तकता–सह–अभिसूचना शाखा का मुख्यालय खाद्य संरक्षा व औषधि आयुक्त (FDA) का कार्यालय होगा।

6– इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि खाद्य संरक्षा व औषधि प्रशासन के विभागाध्यक्ष प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण होंगे। अपर खाद्य संरक्षा व औषधि आयुक्त खाद्य संरक्षा व औषधि प्रशासन के कार्यालयाध्यक्ष होंगे।

7– इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि खाद्य संरक्षा व औषधि प्रशासन के अन्तर्गत विभाग के जिन पदों पर पदोन्नति द्वारा चयन किया जाना है, उन पदों पर पदोन्नति हेतु पोषक संवर्ग में पात्र कार्मिकों की उपलब्धता होने तक, पदों की रिक्तियों के सापेक्ष नियमानुसार प्रतिनियुक्ति/पुर्ननियुक्ति के आधार पर अस्थायी व्यवस्था अन्तर्गत नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।

8– इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि विभाग में पूर्व से कार्यरत मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों के पदों को उनके समतुल्य पदों पर यथा प्रक्रिया/यथा नियम विलय किया जायेगा।

9– इसके अतिरिक्त सहायक औषधि नियंत्रक/वरिष्ठ औषधि निरीक्षकों/औषधि निरीक्षकों के कार्यों का क्षेत्रवार/जनपदवार विवरण निम्नानुसार निर्धारित किये जाने का मुझे निदेश हुआ है।

(1) **A.D.C. मुख्यालय के क्षेत्रान्तर्गत–** रूड़की क्षेत्र, हरिद्वार व लक्सर क्षेत्र के लिए 07 औषधि निरीक्षक तथा जनपद देहरादून हेतु कुल 05 औषधि निरीक्षक कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त देहरादून मुख्यालय के कुल 03 औषधि निरीक्षक भी ADC मुख्यालय के नियन्त्रण में कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त जनपद हरिद्वार हेतु 01 वरिष्ठ औषधि निरीक्षक कार्य करेंगे।

(2) **A.D.C. गढ़वाल मण्डल के क्षेत्रान्तर्गत**–जनपद चमोली हेतु 01, जनपद रूद्रप्रयाग हेतु 01, जनपद पौड़ी गढ़वाल हेतु 02, जनपद टिहरी हेतु 01, जनपद उत्तरकाशी हेतु 01 सहित कुल 06 औषधि निरीक्षकों कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त जनपद देहरादून एवं गढ़वाल मण्डल, पौड़ी हेतु 01–01 वरिष्ठ औषधि निरीक्षक सहित कुल 02 वरिष्ठ औषधि निरीक्षक कार्य करेंगे।

(3) **A.D.C. कुमाऊं मण्डल के क्षेत्रान्तर्गत**– जनपद नैनीताल में 03, जनपद अल्मोड़ा हेतु 01, जनपद बागेश्वर हेतु 01, जनपद पिथौरागढ़ हेतु 01, जनपद चम्पावत हेतु 01 एवं जनपद ऊधमसिंह नगर हेतु 5 औषधि निरीक्षकों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए कुमायूं मण्डल में कुल 12 औषधि निरीक्षक कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त जनपद नैनीताल एवं जनपद उधमसिंहनगर हेतु 01–01 वरिष्ठ औषधि निरीक्षक सहित कुल 02 वरिष्ठ औषधि निरीक्षक कार्य करेंगे।

10— इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक जनपद में औषधि निरीक्षक के पदों का चिन्हांकन जनपद में औषधि व सौन्दर्य प्रशाधन से सम्बन्धित निर्माण इकाईयों व विक्रय प्रतिष्ठानों के दृष्टिगत पृथक से किया जायेगा।

11— ऊपरउल्लिखित शासनादेशों को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

12— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या—236 (म0)XXVII(3)119 दिनांक, 11 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

संख्या— ५२५/XXVIII—3—2019—150/2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
5. महानिदेशक—चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
8. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. गोपन मंत्रिपरिषद अनुभाग।
11. वित्त अनुभाग—07/एन0आई0सी0।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार सिंह)
अनु सचिव।